फर्द अहकाम

दिनेश कुमार बनाम चौथमल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 42/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/07/24	विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट विधिक प्रावधानों की पालना के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी प्रतिवादी को विधिवत व नियमानुसार पूर्व सूचित किया जाकर (नोटिस तामील अनुसार) कुर्रेजात प्रस्ताव पक्षकारान की सुविधा की विधिक अधिकारिता अनुसार तैयार की गई है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रदर्शित / प्रमाणित नहीं होती है। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा मात्र औपचारिक खण्डन स्वरूप प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत कुर्रेजात प्रस्ताव की गुणवत्ता पर कोई ठोस तथ्य / आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अत: प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आपत्ति खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते अंतिम आदेश / निर्णय दिनांक 25.07.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	25/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई मान्य / विधिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट विधिवत व उपयुक्त प्रदर्शित होती है। वादी पक्ष की ओर से कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

दिनेश कुमार बनाम चौथमल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

42/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
/24	गई है। अत: तथ्यों के दृष्टिगत तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 42/2022

निर्णय दिनांक : 24.07.2024

दिनेश कुमार पुत्र श्री मक्खन लाल
जाते जांगिड ब्राह्मण निवासी न्यू कॉलोनी, झोटवाडा जयपुर तहसील जयपुर —वादी

बनाम

1. चौथमल पुत्र चंदाराम
जाति जाट निवासी ग्राम बिलौंची तहसील आमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर। —प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अवलोकन अनुसार प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिवत व उपयुक्त भी प्रदर्शित होती है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से वाके ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नं 701 रकबा 0.44 हैक्टेयर के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	चौथमल पुत्र चन्दाराम हि. 19/44 जाति जाट सा.देह खातेदार दिनेश कुमार पुत्र मक्खनलाल हि. 25/44 जाति जांगिड ब्राह्मण सा न्यू कालोनी झोटवाडा जयपुर खातेदार	701	0.44		
	कुल किता	1	0.44		

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	चौथमल पुत्र चन्दाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	701/1	0.19		
		कुल किता 1	0.19		
2	दिनेश कुमार पुत्र मक्खनलाल हि. पूर्ण जाति जांगिड ब्राह्मण सा न्यू कालोनी झोटवाडा जयपुर खातेदार	701/2	0.25		
		कुल किता 1	0.25		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम क्रिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.07.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

ओहदा ....मुख्यालय-जयपुर....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर